कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई –मेल : deanshivpuri@gmail.com वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक /10582-89/स्था./2021 शिवपुरी दिनांक 25/8/2021

//कार्यालय आदेश//

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा प्राप्त अनुसूचियों तथा म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ2–20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं 09.04.2021 के अनुसार सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर सर्वप्रथम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालयों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की छानबीन कर एवं दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत योग्य पाये गये उम्मीदवार की स्वशासी संस्था की चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा उपरांत निम्नलिखित का चयन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश कार्य ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि पर वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता का नाम	श्रेणी	पदनाम	वेतन/वेतन लेवल
1	संजय कुमार वर्मा	संगम लाल वर्मा	अनुसूचित जाति	रेडियोग्रॉफर टैक्नीशियन/रेडियोग्रॉफर	28700+अन्य भत्ते 7वें वेतनमान लेवल 7
2	ललिता देवी साकेत	वंशपति साकेत	अनुसूचित जाति		
3	शुभम सिंह	राकेश सिंह	अन्य पिछडा वर्ग		
4	विजय राज बहादुर वर्मा	रामपाल वर्मा	अन्य पिछडा वर्ग		
5	उपेन्द्र सिंह राणा	लाखन सिह राणा	अन्य पिछडा वर्ग	टैक्नीशियन	28700+अन्य भत्ते 7वें वेतनमान लेवल 7
6	कीर्ति कुशवाह	पुष्पराज कुशवाह	अन्य पिछडा वर्ग (महिला)		
7	मुन सिंह मेडा	जाम सिह मेडा	अनुसूचित जनजाति		

उक्त नियुक्ति स्वशासी भर्ती नियमों की शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगी :–

1. यह नियुक्ति अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं अथवा उक्त संबंध में शासन के निर्णय के अधीन होगी। माननीय उच्च न्यायालय अथवा शासन का अंतिम निर्णय सभी पर बाध्यकारी होगा। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय अथवा शासन द्वारा अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण 14% मान्य किया जाता है तो शेष 13% पदों में आने वाले अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
2. जिला मेडिकल बोर्ड अथवा चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

3. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
4. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र– चयनित प्रत्याशी को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी को चुकानी होगी। यह देय राशि संबद्धित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. सेवायें किसी भी समय (नियुक्तिकर्ता द्वारा) एक पक्ष, एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। तीन वर्ष पश्चात् चयनित प्रत्याशी द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
6. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./महिला एवं विकलांग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
8. नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
9. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज जो आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये है, के सत्यापन में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो सेवायें बिना किसी नोटिस के स्वमेव समाप्त हो जावेगी एवं आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
10. उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति जमा करनी होगी एवं मेरे द्वारा पूर्णतः सत्य जानकारी दी गई है तथा कोई भी कुटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिनमें फेरबदल किया गया है। इस आशय का शपथ पत्र भी इस कार्यालय में प्रमाण पत्रों के साथ जमा कराना सूनिश्चित करे।
11. आप किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगें, यदि यह पाया जाता है कि आप विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
12. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
13. चयनित प्रत्याशी को अपनी उपस्थिति कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी देना अनिवार्य होगा।
14. आपके दस्तावेजों पर यदि किसी के द्वारा कोई आपत्ति ली जाती है/विवाद उत्पन्न होता है एवं वह सत्य पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त पत्र क्रमांक 932/स्था./अराज/सं.चि.शि./2019 भोपाल दिनांक 24.08.2019 के अनुसार शासकीय स्कूल/महाविद्यालय अथवा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों द्वष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में योग्य पाये जाने वाले सह चिकित्सकीय संवर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रथम तीन माह के निश्चित परिश्रमिक दस हजार प्रति माह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात कार्यरत सह चिकित्सकीय संवर्ग कर्मचारियों की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यार्थीयों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

16. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी–3–13/2019/03/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परीविक्षा अवधि में नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
17. उक्त पद पर चयनित अभ्यार्थी के कार्य कार्यभार ग्रहण करते समय अर्हता संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
18. अभ्यार्थी को अपना अनुप्रमाण पत्र अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी

क्रमांक 10582 - 89 /स्था./2021 शिवपुरी, दिनांक 25/8/2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. लेखाशाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. स्वशासी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित चयनित अभ्यार्थी की ओर पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी

Scanned with CamScanner